न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 120 / 2023

अनवान : –

1. रूकमणी पत्नी चोखाराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. प्रमेश्वरी पत्नी नानूराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री संतलाल तिवाड़ी अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांकः 16/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता सं. 1048 / 577 के ख.न. 1332 / 471 की 2.0240 हैक्टर भूमि ख.न. 1335 / 714 की 0.6740 हैक्टर भूमि कुल तादादी 2. 6980 हैक्टर भूमि स्थित है जिसकी सायला खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा धानिसया तहसील नोहर के खाता सं. 1047 / 577 के ख.न. 1333 / 471 की 2.0240 हैक्टर ख.न. 1336 / 714 की 0.6990 हैक्टर भूमि कुल 2.6990 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमे गैरसायला सं. 1 खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा धानिसया तहसील नोहर के खाता सं. 1048 / 577 की कुल 2.6990 हैक्टर भूमि में सायला की गैरसायला सं. 1 से खरीद शुदा कृषि भूमि है सायला ने समस्त प्रतिफल देकर विवादग्रस्त भूमि खरीद की थी तथा खरीद करने के बाद वादग्रस्त भूमि का खाता व तक्सीम करवा लिया तथा बाद खाता तक्सीम करवाकर अपनी कृषि भूमि के चारो तरफ पट्टी लगाकर तारबन्दी कर ली तथा सायला ने वादग्रस्त कृषि भूमि शान्ति पूर्वक निर्वाध रूप से काबिज चली आ रही है परन्तु सायला द्वारा भूमि सुधार करने के बाद गैरसायला सं. 1 के मन में बदनियती आ गई है। और सायला के कब्जे काश्त की भूमि की पट्टी एवं तारबन्दी उखड़ने पर उतारू है तथा सायला गैरसायला सं. 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारिणी है। गैरसायला सं. 1 ने बैचान करने के उपरान्त सायला द्वारा 5. वादग्रस्त कृषि भूमि का सुधार कर उपजाउ बना रखा है तथा गैरसायला सं. 1 की कृषि भूमि सायला की चिपती हुई तथा गैरसायला सं. 1 ने सायला के कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज होने की फिराक में है तथा सायला की चारो तरफ लगी की कृषि भूमि की पट्टी एवं तारबन्दी को उखाड़ने पर उतारू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है, तथा यदि ऐसी करने में गैरसायला सं. 1 कामयाब हो जाते है तो सायला का ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा इसलिए सायला गैरसायला सं. 1 के खिलाफ मौके की यथास्थिति जारी करवापाने की अधिकारिणी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 1048/577 की कुल 2.6980 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई अप्रार्थीगण उक्त भूमि में प्रार्थीया के रिकार्ड में धारित रकबे में किसी प्रकार की दखलन्दाज न करे एवं वादभूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वादग्रस्त भूमि का सायला व गैरसायला अन्य खातेदार कास्तकारों की सहमती से खाता विभाजन हो चुका है सभी अपनी–अपनी भूमि पर काबिज है सायला व गैर सायला अपनी–अपनी भूमि पर काबिज है किन्तु वादग्रस्त भूमि पवन पुत्र चंवरीलाल जाति पेड़ीवाल ने सायला के नाम से खरीद की थी अब पवन पेड़ीवाल दुसरी जगह पर कब्जा करना चाहता है सायला अपने नाम दर्ज भूमि पर सही तौर से काबिज है। सायला ने माननीय अतिरिक्त जिला कलैक्टर महोदय नोहर के न्यायालय में खाता तकसीम के खिलाफ अपील पेश कर रखी है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.10.2025 मुर्कर है। सायला की भूमि का सहमती से खाता विभाजन हो चुका है सायला अपनी भूमि पर काबिज है तथा गैर सायला अपनी भूमि पर काबिज है किन्तु सायला गैरसायला के कब्जा कास्त की भूमि पर काबिज होना चाहती है। सायला की जमीन में उसके तार आदी पड़ा हुआ है गैर सायला अपनी भूमि पर काबिज है जो सदामत से अपनी भूमि पर कास्त करती चली आ रही है सायला–गैर सायला के हक हिस्सा कब्जा कास्त की भूमि पर कब्जा करना चाहती है क्योंकि गैर सायला की भूमि सड़क पर पड़ती है तथा गैर सायला एक गरीब अनुसुचित जाति कास्तकार औरत है। सायला ने यह मद कतई गलत दर्ज की है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अललोकन किया। पपत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों/सीवं व डोल का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वा[illegible]यलान व गैरसायलान के नाम दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि गैरसायल [illegible] पर काबिज होकर निर्माण कार्य करना चाहते है एवं सींव व डोल को मिस्मार करना [illegible]हते है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा हों, उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता है।। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 05.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/12/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:03 IST
Reason: SelfAttested